



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभ्यस्त एवं शातिर अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 23.09.2021 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू पुत्र बद्री निवासी सासिया कॉलोनी थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू अवैध शराब का निर्माण, बिक्री व परिवहन करता है। अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू शराब माफिया के रूप में चिह्नित है और उसके विरुद्ध वर्ष 2020 में धारा 14(1) गिरोह बन्द निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्की की कार्यवाही भी की जा चुकी है। अभियुक्त वेद प्रकाश अभ्यस्त एवं शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध वर्ष 1988 से वर्तमान तक जनपद खीरी एवं सीमावर्ती जनपद में आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, लूट, डकैती, गुण्डा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कई अभियोग पंजीकृत है।

अभियोग जिसमे वांछित था:-

1. अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू मु0अ0सं0 251/21 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधि0 थाना मैलानी जनपद खीरी (वांछित दिनांक-25.06.2021)

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वेद प्रकाश उर्फ वेदू पुत्र बद्री निवासी ग्राम सासिया कॉलोनी थाना मैलानी जनपद खीरी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 चन्द्रभान यादव (थाना मैलानी)
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार शर्मा
3. हे0का0 विकास पंवार
4. का0 रोबिन सिंह
5. का0 मौ0 आरिफ

थाना मैलानी पुलिस द्वारा पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी गिरफ्तार

संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 23.09.2021 को थाना मैलानी पुलिस उ0नि0 श्री अनुज कुमार शर्मा मय हमराह फोर्स के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 15,000 रु0 के ईनामी वांछित अभियुक्त अर्जुन उर्फ मुकुल पुत्र वेदप्रकाश उर्फ वेदू निवासी सासिया कॉलोनी थाना मैलानी जनपद खीरी को समय 07.50 बजे टेडवा पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है । यह अपराधी अवैध शराब का निर्माण व विक्रय तस्करी करता है । इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक खीरी के द्वारा 15000/- रु0 नकद पुरस्कार घोषित किया गया था ।

अभियोग जिसमे वांछित था:-

मु0अ0सं0 337/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना मैलानी जनपद खीरी (वांछित दिनांक- 16.08.2021)

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अर्जुन उर्फ मुकुल पुत्र वेदप्रकाश उर्फ वेदू निवासी ग्राम सासिया कालोनी थाना मैलानी जिला खीरी ।

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 60(2)Ex Act व 272 IPC थाना मैलानी जिला खीरी
2. मु0अ0सं0 251/2021 धारा 60(2)Ex Act व 272 IPC थाना मैलानी जिला खीरी
3. मु0अ0सं0 337/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना मैलानी जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार शर्मा थाना मैलानी
2. हे0का0 विकास पंवार थाना मैलानी
3. कां0 रोबिन सिंह थाना मैलानी

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त मो० शाहीद पुत्र मो० रफीक निवासी ग्राम रायपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 288/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 03 अदद अवैध तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. अनूप कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद गौतम नि०ग्राम ईरानबेरिहा थाना फूलबेहड़, 2. सोने लाल पुत्र संतराम केवट नि०ग्राम गौरतारा थाना कोतवाली सदर, 3. मिश्रीलाल यादव पुत्र खेमकरन नि०ग्राम हरदी थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर एवं 02 अदद मिस कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/21 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त सुभाष पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दाउदपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 107 लीटर अवैध शराब सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **107 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 07 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फरधान	40 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना तिकोनिया	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना सम्पूर्णानगर	17 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मितौली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना नीमगांव	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	107 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार